बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–3/अ0प्र0–1–105/2009 (Recast) 586 /पटना, दिनांक :– 20-2-24

श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अधिसूचना सं0–1799 सह–पठित ज्ञापांक 1800 दिनांक 03.12.2020 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 12.09.2022 दायर की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता द्वारा पूर्व में उक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दायर की गयी थी जिसकी समीक्षा के क्रम में संचिका दिनांक 11.05.2022 को विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग में जलकर नष्ट हो गयी। कार्यालय आदेश सं0–141 दिनांक 30.05.2022 के आलोक में संचिका को पुनः संधारित करते हुए श्री गुप्ता से पुनर्विलोकन अर्जी की मांग की गयी जो उनके द्वारा समर्पित किया गया है।

3. श्री गुप्ता के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरैन्जा नारायणपुर रोड से चिलिबिला पथ एवं बक्सर धनसोई पथ से सरस्वती पथ के निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2573 अनु0 दिनांक 05.07.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री गुप्ता के दिनांक 30.06.2014 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 2260 दिनांक 17.07.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. अपर विभागीय जॉच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 127 अनु0 दिनांक 06.11.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरूद्ध बक्सर धनसोई पथ से सरस्वती पथ के संदर्भ में गठित आरोप संख्या–3, जो पथ में कहीं–कहीं कराये गये GSB में लोकल बालू पाये जाने, कहीं–कहीं पर कुछ पत्थर पाये जाने तथा GSB की मुटाई एवं इसकी गुणवत्ता विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने से संबंधित है, को अंशतः प्रमाणित पाया गया और शेष आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। इस प्रमाणित आरोप के आधार पर ही श्री गुप्ता को उक्त दंड संसूचित किया गया।

5. श्री गुप्ता से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 12.09.2022 में मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(i) जॉच आयुक्त महोदय् द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आलोच्य दूसरे पथ (बक्सर धनसोई पथ से सरस्वती पथ) में जॉचदल द्वारा पॉच स्थानों पर GSB की मोटाई की मापी गयी है, परन्तु जॉच दल द्वारा पूरे क्रास–सेक्शन में एक भी जगह पर मोटाई नहीं मापी गयी है जो निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग के परिपत्र के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त वर्णित जॉच आयुक्त के प्रतिवेदन से यह स्वतः ही सत्य है कि अगर जॉचदल द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग के परिपत्र के अनुरूप पूरे क्रास सेक्शन में मोटाई मापी जाती तो मोटाई सही पाया जाता क्योंकि किसी भी पथ की मोटाई सिर्फ एक किनारे मापी कर निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

(ii) विभाग के पत्रांक 20311 अनु0 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा निर्गत आरोप पत्र "प्रपत्र क" में मेरे साथ तत्कालीन सहायक अभियंता श्री शिव सागर उपाध्याय एवम् कनीय अभियंता श्री लीलाकान्त झा सह आरोपी है। श्री शिवसागर उपाध्याय को इसी आरोप में जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0–728 दिनांक 26.05.2017 द्वारा आरोप मुक्त किया गया है, जिसे मैं अपने द्वितीय कारण पृच्छा में भी पूरक पत्रांक शून्य दिनांक 16.11.2019 द्वारा समर्पित किया था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गयी और न हीं उसका दण्ड देते समय कोई जिक्र ही किया गया।

(iii) नियमानुकूल निर्माण कार्यो के कार्य सम्पादन के समय विभिन्न कार्यो के जॉच का कर्तव्य समान्यतः सहायक अभियंता को 50 प्रतिशत एवम् कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत हैं, जिसके अनुरूप ही अपने–अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन निर्धारित होता है, जिसका कुछ भी ध्यान दण्ड प्रत्यारोपित करते समय नहीं रखा गया है। श्री शिव सागर उपाध्याय, सहायक अभियंता को आरोप से मुक्त किया गया है जबकि उन्हें दंडित किया गया है।

6. श्री गुप्ता के पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। अभियंता प्रमुख द्वारा की गयी समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि श्री गुप्ता द्वारा मुख्य रूप से श्री शिवसागर उपाध्याय को जल संसाधन विभाग द्वारा आरोप से मुक्त किये जाने के आधार पर उन्हें भी प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का पुनर्विलोकन अर्जी दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री उपाध्याय की इस कार्य में संलिप्तता आँठवा चालू विपत्र से है जबकि श्री गुप्ता की संलिप्ता प्रश्नगत पथ निर्माण कार्य के प्रारंभ से ही है। अतएव श्री गुप्ता का पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 12.09.2022 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/2/24

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—105/2009 (Recast) 587 /पटना, दिनांक :— 20.2.24

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—105/2009 (Recast) 587 /पटना, दिनांक :— 20.2.24

प्रतिलिपि :— महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—105/2009 (Recast) 587 /पटना, दिनांक :— 20.2.24

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव/फुलपरास/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास। पत्राचार का पताः—मो0—विजयनगर, रोड नं0—5, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना—14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—105/2009 (Recast) 587/पटना, दिनांक :— 20.2.24

प्रतिलिपि :— माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव